आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 137/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस, गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री दीपक कुमार मीणा पुत्र श्री मालु राम मीणा
2. श्री मालु राम मीणा पुत्र श्री छोटे लाल मीणा
3. श्रीमती रामपती मीणा पत्नी श्री मालु राम मीणा
   निवासीगणः— मकान नम्बर 15, शिव विहार, श्री राम की नांगल, वाटिका रोड़, साँगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. श्री दीपक महावर पुत्र श्री महेन्द्र महावर
   निवासी : मकान नम्बर 09, तेलियों का मौहल्ला, तहसील चाकसू, शिवदासपुरा, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :— 1. श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

2. श्री रामजीलाल चौधरी अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से।

आदेश

दिनांकः 16.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.01.2018 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मालुराम मीणा पुत्र श्री छोटेलाल मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 15, शिव. विहार, श्री राम की नांगल, वाटिका रोड़, साँगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 75 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा की ओर से श्री रामजीलाल अधिवक्ता उपस्थित हुये।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ने जबाब बहस प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 5,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 6,55,861/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
7. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मालुराम मीणा पुत्र श्री छोटेलाल मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 15, शिव विहार, श्री राम की नांगल, वाटिका रोड़, साँगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 75 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
8. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/06/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर